

प्रेषक,
आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
3. समस्त उपजिलाधिकारी (द्वारा संबंधित जिलाधिकारी), उ०प्र०।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र० (द्वारा संबंधित जिलाधिकारी)।

नगर विकास अनुभाग-७

लखनऊ दिनांक २ फरवरी, २०१५


विषय: रिट याचिका संख्या-५७३६१/१४, जेबा हसीब व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक २१.११.१४ के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त रिट याचिका संख्या-५७३६१/१४, जेबा हसीब व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक २१.११.१४ को पारित निर्णय में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निम्नवत आदेश दिये गये हैं:-

- (i) Delayed registration of birth or death be made only on an order of the prescribed authority and strictly in accordance with the provisions of section 13 of the Act (U.P Registration of Births and Deaths Act. 1969) and Rule 9 of the rules (U.P Registration of Births and Deaths Rules. 2002)
 - (ii) The prescribed authority for the purposes of sub section 3 of Section 13 of the Act read with Rule 9 (3) of the Rules is the Sub Divisional Magistrate of the area concerned and only he can pass an order or delayed registration of birth or death which has not been registered within one year of its occurrence. He can pass order for registration of birth or death only after verifying the correctness of the birth or death and on payment of the prescribed fee.
2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त रिट याचिका में पारित मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय दिनांक २१.११.१४ में दिये गये उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कृपया कड़ाई से सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इसमें कोई शिथिलता/लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

भवदीय,



(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. निदेशक स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ।
2. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।